



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

दूसरी मंजिल, जी.एस.आई.फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर(छ.ग),- 492005, फोन 0771-2282530.

संख्या: कबीध/बॉक्स/खयो-1121/2017-रायपुर

दिनांक - 30.10.2017

प्रेषित : खान एजेन्ट
सर्वश्री भारत एलुमिनियम कम्पनी लि.
बॉल्को नगर, कोरबा,
जिला - कोरबा,
छत्तीसगढ़ - 495684

विषय: खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 17(3) एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत निकट ग्राम - मुन्डा दादर, केसरमर्दा, रबादा, एवं समसेटा, तहसील-बोडला, जिला - कबीरधाम (छग) में स्थित बोर्डई दलदली बॉक्साइट खान, क्षेत्रफल - 626.117 है. की खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की प्रस्तुति।

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त क्षेत्र की खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की जाँच व खान निरीक्षण के उपरांत इसमें कमियां/त्रुटियों पाई गई हैं। संलग्नक में दर्शाई गयी कमियों/त्रुटियों को सुधारते हुए खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की (3) तीन स्वच्छ बाउण्ड प्रतियां एवं 2 सॉफ्ट कॉपी (CD) इस पत्र के जारी होने की तिथि से पंद्रह (15) दिनों की अवधि में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि तीन स्वच्छ प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर अर्हित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। तथा बिन्दुवार कमियां सुधार का विवरण भी प्रस्तुत करें।

आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की तीन स्वच्छ बाउण्ड प्रतियां पूर्ण सावधानी से तैयार करें अन्यथा पुनः कमियां/त्रुटियां पाए जाने की स्थिति में यह आपको संशोधनार्थ न लौटाते हुए इस पर अंतिम कार्रवाई कर दी जायेगी।

आप कृपया खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना के साथ प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय आश्वासन एम सी डी आर 2017 के अनुसार पाँच वर्ष की अवधि का (Financial Assurance) क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पक्ष में प्रस्तुत करें। वित्तीय आश्वासन के अभाव में खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना अपूर्ण मानते हुए अंतिम कार्रवाई कर दी जाएगी।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

(बी एल. गुर्जर)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि:

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर। (ई मेल द्वारा)
- 2- श्री शलभ साहा, एच. आई. जी. - 21, हुडुको कॉलोनी, आमडी नगर भिलाई, जिला दुर्ग - 490009 (छग) ।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

Inspection Report cum Scrutiny comments on the Modifications in the approved Mining Plan for Bodai-Daldali Bauxite Mine over an extent of 626.117 Hectors in Mundadadar, Kesmarda, Rabda & Samseta Village, Bodla, Tehsil, KabirDham District of M/S Bharat Alumininum Company Ltd inspected by Shri Rajesh Kumar Das, SrACOM & Shri R.N.Mishra, SMG dated 12.10.2017

1. The signature of qualified person is missing.
2. **General:** In the given Para the name of the Nominated owner with address, phone no., fax, e-mail id should be furnished and supporting document for address proof also to be enclosed.
3. Para 5.1 in review Para it is mentioned 725 nos boreholes drilled in 2016-17, Form- K (As per MCDR 1988) the details of boreholes falling in un excavated area needs to be attached so that that mineralization can be checked either it's continue or end of the Present threshold value.
4. Details of Sample Analysis: All the recently drilled bore hole samples analysis to be furnished and ten percent samples should be analysis from NABL Lab.
5. **Mining:** The justification given for modification is based on cutoff value than why the production proposal is decrease. The same should be clarified.
6. In last approved document it was mentioned that 30-38% Al₂O₃ will be utilised and based on that nearly 20 lakh tons resource more established but now it is mentioned that it is not feasible. Taking into consideration of the fact mentioned if the material is not utilised than it is subgrade material and it should be kept stacked. It shows that either the material of that quality is used or the subgrade material is backfilled. The same may be clarified.

Plates:

7. **Production and development Plan:** In the given plan it was observed that the production and development plan is given in 9 pits along the lease in approximately 9 km length. The proposal should be optimised based on systematic and scientific working and it should not based on land clearance and contractor view point. The proposal of excavation should be from one end of lease area and extend towards other after exhaust of minerals.

Financial assurance: : Additional 20 ha area is considered as reclaimed and rehabilitated from last approved mining plan document which is not correct accordingly FA table may be revised.